

No.1/21/2018-SD/AM  
INDIRA GANDHI NATIONAL CENTRE FOR THE ARTS  
JANPATH, NEW DELHI-110001  
SUTRADHARA DIVISION  
ESTABLISHMENT SECTION

Dated: 19<sup>th</sup> April 2024

**OFFICE ORDER No. 193 /2024**

In continuation of Office Order No.150/2022 dated 18-04-2022, the Competent Authority,IGNCA is pleased to extend the term of appointment of Ms Supriya Consul, Programme Director (KD) on contractual basis for a period of two years w.e.f. 23-04-2024 to 22.04.2026 on existing terms and conditions.

All other terms and conditions contained in the offer letter No.4/7/2013-SD/AM dated 05-04-2018 shall remain unchanged.



(Sheela Unnikrishnan)  
AFA & AO (E & A)

Ms Supriya Consul,  
Programme Director (KD)  
IGNCA.

Copy to:

1. HoD (KD)
2. Dy. FA & Sr. AO (Accounts branch)
3. SO (KD)
4. Guard file

Copy for information to:-

1. PPS to Member Secretary.
2. Sr PA to Dean & Director (CIL)
3. PPS to Director (A)
4. PS to FA & CAO

फाइल संख्या 1/21/2018-एसडी/एएम

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र

जनपथ, नई दिल्ली-110001

सूत्रधार प्रभाग (स्थापना अनुभाग)

दिनांक: 19 अप्रैल, 2024

### कार्यालय आदेश संख्या 193/2024

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के कार्यालय आदेश संख्या 150/2022 दिनांक 18.04.2022 के अनुक्रमण में केन्द्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुश्री सुप्रिया कंसल, कलादर्शन प्रभाग में कार्यक्रम निदेशक के पद पर दो वर्ष की अवधि हेतु अनुबंध आधार पर अर्थात् दिनांक 23.04.2024 से 22.04.2026 की अवधि के लिए सहर्ष बढ़ाया जाता है।

केन्द्र के नियुक्ति पत्र संख्या 4/7/2013-एसडी/एएम, दिनांक 07.05.2023 में निर्धारित सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

शीला 25.4.24

(शीला उन्नीकृष्णन)

स.वि.स एवं लेखाधिकारी(स्था.एवं प्रशा.)

सुश्री सुप्रिया कंसल

कार्यक्रम निदेशक(कलादर्शन प्रभाग)

इं.गां.रा.क.केन्द्र

प्रतिलिपि:-

1. विभागाध्यक्ष (कलादर्शन प्रभाग)
2. उप वित्त सलाहकार एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी (लेखा अनुभाग)
3. अनुभाग अधिकारी(कलादर्शन प्रभाग)
4. इं.गां.रा.क.केन्द्र की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
5. गार्ड फाइल

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. सदस्य सचिव के मुख्य निजी सचिव
2. डीन एवं निदेशक (सीआईएल) के वरिष्ठ निजी सहायक
3. निदेशक (प्रशासन) के मुख्य निजी सचिव
4. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के निजी सचिव